बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–9/आo–01–20/2023(स्वाo) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

डॉ० राज नाथ सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, बेगूसराय द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1534(2) दिनांक–18.12.2021 के अनुपालन में कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, शिवहर के पत्रांक–1463 दिनांक–15.12.2021 द्वारा डॉ० राज नाथ सिंह को सिनियर रेजिडेंट की शेष टेन्योर अवधि पूरा करने के लिए विरमित कर दिया गया। टेन्योर अवधि पूरा होने के उपरान्त दिनांक -04.02.2022 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–884(2) दिनांक–30.06.2022 द्वारा डॉ० राज नाथ सिंह को नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर सदर अस्पताल, बेगूसराय में पदस्थापित किया गया, परन्तु कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनके द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया। स्वस्थ्य होने के उपरान्त दिनांक–02.12.2024 को पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

2. डॉ० राज नाथ सिंह द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० राज नाथ सिंह का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, बेगूसराय को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राज नाथ सिह को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० राज नाथ सिंह का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० राज नाथ सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, बेगूसराय के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आo–01–20/2023(स्वाo) 44(9)/ पटना, दिनांकः–14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/सिविल सर्जन, बेगूसराय को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राज नाथ सिंह के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० राज नाथ सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।